14

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225 चन्दनसिंह V/s भूपेन्द्रसिंह

तारीख	2022/422 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री रोहित सोनी श्री अजीत सिंह-1 GA2	

चन्दन सिंह बनाम भूपेन्द्रसिंह (2022/422)

17/7/23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अभिभाषक को दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम एवं अपील पर पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में अपील संख्या 134/2022 प्रस्तुत की, जिस पर मान्नीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.06.2022 को विचारण न्यायालय को 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को तय करने के निर्देश जारी किये थे, किन्तु तहत् न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.202 तक तय नहीं कर मात्र तारीखें दी जारी है। मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2022 की पालना में अपीलांट ने तहत् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. दिनांक 24.06.2022 को मय आदेश दिनांक 21.06.2022 पेश किया, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 08.07.2022 को वादी वकील को अनापत्ति होने पर आवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. स्वीकार कर लिया गया था। तत्पश्चात भी पत्रावली को दिनांक 02.09.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के जवाब हेतु नियत कर दिया। जिसके बाद मात्र पेशियॉ नियत की जा रही है। दिनांक 07.10.2022 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनकर वास्ते आदेश नियत कर दिया। जिसके बाद मात्र पेशियॉ की गई तथा दिनांक 18.11.2022 को पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पर बहस सुनने हेतु नियत कर दिया और अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को तय नहीं का मात्र तारीखें प्रदान कर अविधिक आदेशियॉ सृजित की जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विचारण न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। जिससे अपीलांट के हितो को प्रभावित किया है। अपीलांट का प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत है जिसे मेरिट पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य नहीं किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का शमन किया किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था तथा इसकी जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को थी फिर भी प्रार्थना पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है जो मिथ्या एवं गलत है, इसलिए प्रार्थना पत्र 5 म्याद अधिनियम को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है तथा विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक हो सके अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नही किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिएं। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

---लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

422/2022/215 RTA — चन्दन सिंह V/S राज्य सरकार

तारीख	2022/422 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	श्री रोहित सोनी श्री अजीत सिंह GA-2	

०७/१/१४ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सह-खातेदारान कुलदीन सिंह, रवीन्द्रसिंह पुत्रान अरूणसिंह एवं मंजू कंवर पत्नि अरूण सिंह के नाम 267/390 हिस्सा सम्वत् 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2019 में अंकित है, जिससे कि अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। उक्त आराजी पर विक्रेतागण पूर्वजों के समय से अपने-अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक सह-खातेदार की हैसियत से काश्त कर रहे है, जिस क्रम में उन्होने अपने अपने हिस्से अनुसार बाड़, फसल तारबंदी आदी की हुई है, चुँकि वादी व उसका परिवार अशांति प्रिय व्यक्ति होकर झगडे फसाद कर हैरान-परेशान करने की नेईयत रखते है। जिस क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की हैं। वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने से उसके कब्जे में हस्तक्षेप का प्रश्न ही प्रकरण में विद्यमान नहीं है, जिससे कि अन्तरिम स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष देय योग्य नहीं है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके खातेदारी की आराजी बाबत् हैरान-परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.06.2022 की पालना में अन्तरिम अस्थायी निषेधा को तय नहीं कर मात्र तारीखें प्रदान कर अविधिक आदेशिकाये सृजित की जा रही है।विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांतो 2016 आर.बी.जे. पेज 244, 2004 आर.बी.जे. पेज 163, 2005 आर.बी.जे. पेज 87 में प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी स्थगन आदेश रेकार्डेड खातदेार के विरूद्ध प्रदान किया गया है, जो कि अविधिक आदेश की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 बउनवानी भूपेन्द्र बनाम राज.सरकार में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह व उनके पिता नरदेव सिंह ने पूर्व खातेदार छीतर पुत्र रामचन्द्र दरोगा से उक्त भूमि कुल 08-00-10 बीघा में से 05-09-10 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था इस खसरे की शेष भूमि 02-11-00 अन्य व्यक्ति ने खरीदी थी जैसा की नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 13.09.1988 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पिता के नाम उक्त क्रय शुदा भूमि का नामान्तकरण स्वीकार किया गया जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 3834 में से 5-09-10 बीघा भूपेन्द्रसिंह व उसके पिता नरदेव सिंह के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया जो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया तथा बाद खरीद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त भूमि पर बतौर तन्हा खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट भूपेन्द्र के पिता नरदेव सिंह फौत हो चुके है, भूपेन्द्र सिंह ही उनका एक मात्र वारिस है। नामान्तकरण संख्या 127 की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गया इसलिए वाद दायर करने की आवश्यकता हुयी तथा अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हुआ क्योंकि क्रयशुदा भूमि 05-09-10 को अन्यत्र हस्तातंरित करने बाबत् कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं करे और ना ही राजस्व अभिलेखें में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य किसी का नाम दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 06.05.2022 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये हैं।उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

---लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225 चन्दनसिंह V/s भूपेन्द्र सिंह

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए	2022/422 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री रोहित सोनी श्री प्रजीत सिंह । GA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

आदेश अप्रार्थी/अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है फिर भी अप्रार्थी/अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने से किसी प्रकार से क्षति नहीं हो रही हैं। वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हैं यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल कर देगा तो अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट को ही होनी हैं इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सह–खातेदारान कुलदीन सिंह, रवीन्द्रसिंह पुत्रान अरूणसिंह एवं मंजू कंवर पत्नि अरूण सिंह के नाम 267/390 हिस्सा सम्वत् 2073–76 जमाबंदी वर्ष 2019 में अंकित है, जिनसे कि अपीलांट ने दिनांक 20.04.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। उक्त आराजी पर विक्रेतागण पूर्वजों के समय से अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक सह–खातेदार की हैसियत से काश्त कर रहे है, जिस क्रम में उन्होने अपने अपने हिस्से अनुसार बाड़, फसल तारबंदी आदी की हुई है, चुंकि वादी व उसका परिवार अशांति प्रिय व्यक्ति होकर झगडे फसाद कर हैरान–परेशान करने की नियत रखते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 11.01.2023 को सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 की क्रियान्विति, पालना व प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित किया गया है जो विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाक 06.05.2022 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह व उनके पिता नरदेव सिंह ने पूर्व खातेदार छीतर पुत्र रामचन्द्र दरोगा से उक्त भूमि कुल 08–00–10 बीघा में से 05–09–10 बीघा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था इस खसरे की शेष भूमि 02–11–00 अन्य व्यक्ति ने खरीदी थी जैसा की नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 13.09.1988 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पिता के नाम उक्त क्रय शुदा भूमि का नामान्तकरण स्वीकार किया गया जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 3834 में से 5–09–10 बीघा भूपेन्द्रसिंह व उसके पिता नरदेव सिंह के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया जो सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया तथा बाद खरीद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त भूमि पर बतौर तन्हा खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट भूपेन्द्र के पिता नरदेव सिंह फौत हो चुके है, भूपेन्द्र सिंह ही उनका एक मात्र वारिस है। नामान्तकरण संख्या 127 की पालना में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गया इसलिए वाद दायर करने की आवश्यकता हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है। हमारे द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाबत् अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो का कथन है कि विवादित आराजी उन्होनें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है, जिसका निस्तारण तो बाद वाद पत्र में साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात् तय होना है तब तक विवादित आराजी को सुरक्षित व संरक्षित किया जाना चाहिए ऐसा उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको आदेशों में यह प्रतिपादित किया हुआ है, इसलिए न्यायहित में अपील को इसी स्तर पर अपील को निर्णित की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को इस प्रकार संशोधित किया जाना

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

20.01.2023

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

422/2022/RTA

तारीख	2022/422	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री रोहित सोनी	श्री अजीत सिंह

उचित समझते है कि विवादित आराजी बाबत् उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत् बनाये रखेगें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर जवाब प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील को निर्णित की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 28/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2022 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि विवादित आराजी बाबत् उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत् बनाये रखें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर जवाब प्राप्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2023 को उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर